



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सूचना पत्रक



कार्यालयीय मुख्य अधीक्षक छात्रावास

प्रो. सुनिता मिश्रा
कुलपति

सत्र 2023-24

प्रो. मंजू बाघमार
चीफ वार्डन, छात्रावास

विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों हेतु निम्न छात्रावास संचालित हैं :

| छात्रावास का नाम | संबंधित संकाय एवं आवास-क्षमता | वार्डन |
|--|--|---|
| महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर | अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए : 150 | डॉ. गरिमा मिश्रा 9450900001 श्रीमती स्नेहा सिंह 9929771070 |
| गार्गी कन्या छात्रावास विज्ञान महाविद्यालय परिसर | छात्राओं के लिए : 147 | डॉ. माया चौधरी 9664141837 डॉ. राजकुमारी अहीर 9829525941 |
| राणा पूंजा जनजाति छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर | अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए : 92 | डॉ गिरिराज सिंह चौहान 9461384777 डॉ. राजू सिंह 9413474727 |
| विधि छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर | सभी संकाय के छात्रों के लिए : 70 | डॉ. कैलाश चन्द गुर्जर 7976324107 |
| नेहरु शिक्षक सदन हिरण मगरी सेक्टर 3 | अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए : 40 | डॉ. शैलेन्द्र सिंह राव 9252360000 |
| डॉ. डी.एस. कोठारी छात्रावास विश्वविद्यालय खेल परिसर | शोध छात्रों के लिए : 18 | डॉ. दीपेन्द्र सिंह चौहान 9462053818 |

छात्रावास प्रवेश हेतु नियम

- छात्रावास में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को योग्यता के आधार पर वार्डन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों को अपने मूल निवास के पुलिस थाने से इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके (छात्र) विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला (वाद) न्यायालय/पुलिस में विचाराधीन नहीं है।
- निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे
 - ऐसा अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय छात्रावास अथवा अन्य किसी के द्वारा दायर किया गया आपराधिक मामला (वाद) न्यायालय/पुलिस में विचाराधीन हो, वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
 - अंशकालीन उपाधि/पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी।
 - अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन नियोजित विद्यार्थी।
 - विद्यार्थी जो विगत सत्र में छात्रावास में गंभीर दुराचरण तथा अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो।
 - किसी छूट की बीमारी से ग्रसित विद्यार्थी।
 - गत वर्ष की परीक्षा में असफल विद्यार्थी।
 - पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्रावास में आवास उपलब्ध होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा -
 - महाविद्यालय/विभाग में प्रवेश हेतु जमा कराये गये शुल्क की रसीद
 - अंतिम अर्हक परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका
- वार्डन द्वारा प्रवेश का अंतिम निर्णय अभ्यर्थियों, उनके माता-पिता एवं स्थानीय अभिभावकों के साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। प्रवेश हेतु घोषित अंतिम तिथि तक छात्रावास में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जायेगा। तथापि यदि कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन पर प्रवेश प्रथम आवेदन क्रम के अनुसार दिया जायेगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास में आरक्षण विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रदान किया जायेगा।
- पूरक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश अस्थाई होगा। पूरक परीक्षा में असफल होने पर उनका प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा। पूरक परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी को अपना प्रवेश निश्चित करा लेना चाहिए।
- छात्रावास में प्रवेश चालू शिक्षा-सत्र के लिए ही होगा और प्रत्येक अन्तर्वासी (छात्रावास में रह विद्यार्थी) को अपनी परीक्षा के अंतिम प्रश्न-पत्र की तिथि से तीन दिन के अन्दर छात्रावास खाली करना होगा। यदि किसी कारण से छात्र तीन दिन के अन्दर छात्रावास खाली नहीं कर पाता तो ऐसी विशेष परिस्थिति में वार्डन की अनुमति से अगले सात दिन और रह सकता है इसके लिए छात्र को शुल्क (कुल 10 दिन रु. 100/- प्रतिदिन के हिसाब से) देना होगा। इसके पश्चात् किसी भी स्थिति में छात्रावास खाली करना होगा।

- (अ) प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ब) स्नातक व स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य और विज्ञान विषयों के छात्रों के लिए छात्रावास प्रवास की अधिकतम सीमा 5 शैक्षणिक सत्र तथा स्नातक के साथ विधि के लिए 6 शैक्षणिक सत्र होगी।
- यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद किसी अन्य संस्था में प्रवेश ले लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वह छात्र विश्वविद्यालय छात्रावास में रहने का हकदार नहीं होगा। उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- छात्रावास में प्रवेश, विद्यार्थी का अधिकार नहीं है।

आवास का आवंटन

(ALLOTMENT OF ACCOMMODATION)

- छात्रावास शुल्क जमा कराने के पश्चात् वार्डन द्वारा आवास का आवंटन किया जायेगा।
- विद्यार्थी को वार्डन की लिखित अनुमति के बिना अपना कक्ष बदलने का अधिकार नहीं होगा।
- छात्रावास आवासियों को वे सुविधाएं प्रदान की जायेगी, जो छात्रावास में उपलब्ध है। वार्डन बिजली एवं पानी के नियमित, पर्याप्त एवं समयानुसार प्रदान करने की गारण्टी नहीं लेंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि पानी अथवा बिजली की पूर्ति में व्यवधान होने पर अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

छात्रावास शुल्क

(HOSTEL FEES)

- प्रवेश की सूचना जारी कर देने के पश्चात् विद्यार्थी को सम्बन्धित शुल्क आनलाइन माध्यम या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **चीफ वार्डन, छात्रावास, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर** को देय होगा, के जमा कराने पर ही कक्ष का आवंटन किया जायेगा।
- कक्ष का आवंटन मंगलवार एवं शुक्रवार को 5:00 से 6:30 सायंकाल किया जायेगा।
- छात्रावास शुल्क (रुपये) दर निम्न प्रकार होगी -

गैरस्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए

| | एकल-आवासी | द्वि-आवासी |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| विश्वविद्यालय कोष (University Fund) | | |
| 1. छात्रावास प्रवेश | 250.00 | 250.00 |
| 2. कक्ष किराया (प्रति माह) | 3500.00 | 2750.00 |
| 3. विद्युत शुल्क (10 माह) | 3,000.00 | 2,250.00 |
| 4. विद्युत पंखा शुल्क (10 माह) | 1000.00 | 1000.00 |
| 5. पानी शुल्क (10 माह) | 1250.00 | 1250.00 |
| स्थानीय कोष (Local Fund) | | |
| 6. छात्रावास विकास | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7. छात्रावास सामान्य कक्ष | 400.00 | 400.00 |
| 8. बर्तन आदि शुल्क | 300.00 | 300.00 |
| 9. अवधान द्रव्य (प्रवेश के समय) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| वार्षिक प्रणाली शुल्क | 11,700.00 | 10,200.00 |
| सेमेस्टर प्रणाली शुल्क | 13,450.00 | 11,650.00 |

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए

विश्वविद्यालय कोष (University Fund)

| | एकल-आवासी | द्वि-आवासी |
|---------------------------------|-----------|------------|
| 1. छात्रावास प्रवेश | 250.00 | 250.00 |
| 2. कक्ष किराया (प्रति माह) | 7500.00 | 6000.00 |
| 3. विद्युत शुल्क (10 माह) | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 4. विद्युत पंखा शुल्क (10 माह) | 1000.00 | 1000.00 |
| 5. पानी शुल्क (10 माह) | 1250.00 | 1250.00 |
| स्थानीय कोष (Local Fund) | | |
| 6. छात्रावास विकास | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 7. छात्रावास सामान्य कक्ष | 600.00 | 600.00 |
| 8. बर्तन आदि शुल्क | 400.00 | 400.00 |
| 9. अवधान द्रव्य (प्रवेश के समय) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| वार्षिक प्रणाली शुल्क | 16,700.00 | 14,200.00 |
| सेमेस्टर प्रणाली शुल्क | 19,350.00 | 16,350.00 |

टिप्पणियाँ (NOTES)

- छात्रावास शुल्क शैक्षणिक सत्र (1 जुलाई से 30 अप्रैल) के लिए लिया जायेगा तथा जिन छात्रों के मुख्य परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत होती है। उन्हें 12 माह का शुल्क/किराया देना होगा।
- अवधान द्रव्य छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर वापस नहीं लिया जाता है तो यह राशि व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।
- आवासीय विद्यार्थियों को वार्डन का बकाया नहीं (No dues) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही सम्बन्धित अधिष्ठाता द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र एवं डिग्री आदि दिये जा सकेंगे। इस प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

अनुशासन (DISCIPLINE)

- प्रवेश, अनुशासन एवं निस्सारण के सम्बन्ध में वार्डन और मुख्य वार्डन का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी आवासीय विद्यार्थियों पर बाध्यकारी होगा।
- छात्रावास परिसर/कक्ष में मादक पदार्थ एवं अस्त्र-शस्त्रों को रखना एवं उनका उपयोग निषिद्ध है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे विद्यार्थी छात्रावास से निष्कासित किये जा सकेंगे।
- संक्रामक रोग से ग्रसित विद्यार्थियों को छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।
- छात्रावास परिसर में अथवा अन्यत्र नियम विरुद्ध एकत्र होना, नव-आगन्तुक हुए विद्यार्थी को सताना (Ragging) या उनका किसी प्रकार से शोषण करना पूरी तरह वर्जित है। अवांछित गतिविधियों में लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। छात्रावास के आवासीय विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वह वार्डन द्वारा अधिसूचित सभी नियमों का पालन करें तथा अच्छा आचरण बनाये रखें।
- छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि छात्रावास सुविधाओं का प्रयोग करते समय उचित सावधानी बरतें। छात्रावास की किसी भी सम्पत्ति (कक्ष, रसोई, सामान्य कक्ष, फर्नीचर, विद्युत एवं पानी फिटिंग्स, टेलीविजन सेट आदि) के दुरुपयोग को अनुशासनहीनता माना जायेगा। दोषी विद्यार्थी से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का पूरा मूल्य वसूल किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डनीय कार्यवाही अलग से की जायेगी।
- किसी भी स्थिति में आवासीय विद्यार्थी को छात्रावास कक्ष में भोजन बनाने की अनुमति नहीं होगी।
- छात्रावास में वार्डन की अनुमति के बिना कूलर एवं हीटर का प्रयोग वर्जित है। अगर किसी छात्र के कमरे में बिना अनुमति के कूलर या हीटर पाया गया तो वह जब्त कर लिया जायेगा एवं पेनाल्टी के तौर पर 200 रु. शुल्क जमा कराना होगा।

छात्रावास रसोई व्यवस्था (MESS FACILITY)

- छात्रावास की भोजन व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा सहकारी आधार पर वार्डन के निर्देशन एवं नियंत्रण के अन्तर्गत की जायेगी।
- सभी आवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास रसोई व्यवस्था में सम्मिलित हो और वार्डन द्वारा अधिसूचित तत्सम्बन्धी नियमों एवं विनियमों का पालन करें।
- आवासियों से अपेक्षा है कि ये छात्रावास के भोजन-कक्ष में ही भोजन करें। किसी भी स्थिति में भोजन आवासियों के कक्षों में नहीं भेजा या लाया जा सकता है।

निस्तारण (DISCHARGE)

- छात्रावास में प्रवेश प्राप्त आवासियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उस वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में अंतिम प्रश्न-पत्र की तिथि से तीन दिन के अन्दर अपना कक्ष खाली कर दें और उन्हें सौंपी गई छात्रावास सम्पत्ति वार्डन को सौंप दें।
- छात्रावास में किसी भी विद्यार्थी को वार्डन/मुख्य वार्डन/विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसको छात्रावास खाली करने का आदेश दिया जा सकता है।
- यदि किसी छात्र के कक्ष में कोई अन्य निवास करते पाया गया तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

अतिथि एवं आगन्तुक (GUESTS AND VISITORS)

- संरक्षक/माता-पिता को छात्रावास के आवासीय विद्यार्थियों से मिलने की अनुमति केवल वार्डन द्वारा अधिसूचित मिलने के समय में ही होगी।
- किसी भी आगन्तुक/मित्र/माता-पिता को आवासीय विद्यार्थियों के साथ उसके कक्ष में ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
- छात्रावास में आवास उपलब्ध होने की स्थिति में वार्डन द्वारा विश्वविद्यालय में आने वाले शैक्षणिक, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक दलों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अतिथियों को छात्रावास में रहने के लिए नियमानुसार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा।
- छात्रावास के उन आवासीय विद्यार्थियों, जिनकी परीक्षाओं की तिथि विश्वविद्यालयों के द्वारा बढ़ा दी गई हो, को **मासिक दर पर नये सत्र के प्रारम्भ होने तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा।**

Additional Rules and Regulations for Dr. D.S. Kothari Hostel (Research Scholars only)

- Only those research scholars of University Constituent colleges who are registered for Ph.D. Degree and paying their regular tuition and/or lab. fee shall be eligible for admission.
- The admission will be made strictly on merit basis by the Warden on the criteria decided by the University. However, preference may be given to those who have qualified JRF/SRF.
- Each candidate of such constituent colleges has to submit an undertaking along with a

certificate from the Supervisor, duly certified by head of the Department and Dean/Director of the Institution stating that the candidate is working as full time research scholar and is not engaged in any other full/part time job and is paying the fees regularly to the University.

4. The initial admission will be given for one year/session only. In no case the total duration of stay of a research scholar in the hostel shall exceed a maximum period of three years from the date of registration.
5. Two seats are reserved for research associates getting a research scholarship from any central funding agencies like UGC/CSIS/ICMR/ICSSR etc.
6. The application forms of regular research scholars of constituent colleges must be forwarded and recommended by (a) The Supervisor, (b) Heads of the Department, and (c) Dean/Director of the institute, and (d) Dean, Postgraduate Studies.
7. All other rules and regulations mentioned in the information Bulletin and application form shall be applicable, in case of any dispute the decision of the Warden/Chief warden shall be final.
8. The fee will be charged for 12 months (one complete year) in a single instalment and in advance.
9. Admission to the research hostel will be granted twice in a year i.e. 1st July to 30th June or 1st Jan to 31st December.
10. Admission in the research hostel cannot be claimed as a right.

Those who are getting scholarship/fellowship from any agency e.g. UGC & Govt. and guest faculty teachers who are working in any of university college/unit

| UNIVERSITY FUND | Single Seated Room | Double Seated Room |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Admission fee | 250.00 | 250.00 |
| Room rent | 24,000.00 | 21,000.00 |
| Electricity charge | 6,000.00 | 4,500.00 |
| Fan charges | 2,000.00 | 1,850.00 |
| Water charges | 1,650.00 | 1,500.00 |
| LOCAL FUND (PER ANNUM) | | |
| Improvement | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Common room | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Caution money | 2,000.00 | 2,000.00 |
| TOTAL | 38,900.00 | 34,100.00 |

Those who are not getting any financial assistance from any agency e.g. UGC, Govt. etc.

| UNIVERSITY FUND | Single Seated Room | Double Seated Room |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Admission fee | 250.00 | 250.00 |
| Room rent | 7800.00 | 6000.00 |
| Electricity charge | 4,000.00 | 3500.00 |
| Fan charges | 1,600.00 | 1,600.00 |
| Water charges | 1,200.00 | 1,200.00 |
| LOCAL FUND (PER ANNUM) | | |
| Improvement | 1,800.00 | 1,800.00 |
| Common room | 800.00 | 800.00 |
| Caution money | 2,000.00 | 2,000.00 |
| TOTAL | 19,450.00 | 17,150.00 |

महर्षि दयानन्द सरस्वती कन्या छात्रावास



गार्गी कन्या छात्रावास



राणा पूंजा जनजाति छात्रावास



विधि छात्रावास



नेहरू शिक्षक सदन



डॉ. डी.एस. कोठारी छात्रावास

